रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2015/श्रावण 8, 1937
No. 482] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2015/SRAVANA 8, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2015

सं. 41/2015-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 598(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/2013-सीमा-शुल्क, तारीख 29 नवम्बर, 2013, सा.का.नि. 762(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, -

(क). स्पष्टीकरण में, “1 अक्तूबर, 2015” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2016” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) स्पष्टीकरण के बाद पहले से मौजूद सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"सारणी

क्रम सं.	श्रेणी	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	क्षय रोग (टीबी) निरोधी औषधियां	(i) नये मामले (पीसी-1) (ii) पुन: उपचार मामले (पीसी-2) (iii) प्रोलोंगेशन पाउच (पीसी-4) (iv) पेडियाट्रिक बाक्स (पीसी-13) (v) पेडियाट्रिक बाक्स (पीसी-14) (vi) पेडियाट्रिक पाउच (पीसी-15) (vii) पेडियाट्रिक पाउच (पीसी-16) (viii) इसोनियाजिड 100 मिलिग्राम (पीसी-7) (ix) एथम्बुटोल 800 मिलिग्राम (पीसी-10) (x) इसोनियाजिड 300 मिलिग्राम (पीसी-11) (xi) कन्म्यसिन 500 मिलिग्राम (पीसी-17) (xii) कन्म्यसिन 1000 मिलिग्राम (पीसी-27) (xiii) काप्रेओम्यसिन 500 मिलिग्राम (पीसी-42) (xiv) काप्रेओम्यसिन 750 मिलिग्राम (पीसी-35) (xv) काप्रेओम्यसिन 1000 मिलिग्राम (पीसी-36) (xvi) लिवोफ्लोक्स 250 मिलिग्राम (पीसी-28) (xvii) लिवोफ्लोक्स 500 मिलिग्राम (पीसी-29) (xviii) मोक्सिफोलाक्सासीन 400 मिलिग्राम (पीसी-39) (xix) स्यक्लोसेरिन 250 मिलिग्राम (पीसी-24) (xx) एथिओनमिड 250 मिलिग्राम (पीसी-20) (xxi) एथिओनमिड 125 मिलिग्राम (पीसी-30) (xxii) एनए-पीएएस 4 ग्राम (पीसी-32) (xxiii) एनए-पीएएस 10 ग्राम (पीसी-25) (xxiv) एथम्बुलोल 400 मिलिग्राम (पीसी-45) (xxv) एथम्बुलोल 800 मिलिग्राम (पीसी-10) (xxvi) प्यरजिनमिड 500 मिलिग्राम (पीसी-8) (xxvii) प्यरजिनमिड 750 मिलिग्राम (पीसी-23) (xxviii) पायरिडोक्सीन 50 मिलिग्राम (पीसी-31) (xxix) पायरिडोक्सीन 100 मिलिग्राम (पीसी-26) (xxx) क्लोफजिमिन 100 मिलिग्राम (पीसी-40) (xxxi) लिनेजोलिड 600 मिलिग्राम (पीसी-38) (xxxii) अमोक्सीक्लेव 875/125 मिलिग्राम (पीसी-43)

		(xxxiii) सोडियम पीएएस 4 ग्राम (पीसी-32) (xxxiv) सोडियम पीएएस 10 ग्राम (पीसी-25) (xxxv) क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलिग्राम (पीसी-37) (xxxvi) थयासेटाजोन 150 मिलिग्राम (पीसी-44) (xxxvii) इंजेक्शन स्ट्रप्टोमाइसीन 750 मिलिग्राम (पीसी-5) (xxxviii) कैप्सूल रिफामपाइसीन 150 मिलिग्राम (पीसी-6) (xxxix) कैप्सूल रिफाबूटिन 150 मिलिग्राम (पीसी-33)
2.	निदानिकी और उपस्कर	(i) विशिष्टताओं के अनुसार यूपीएस सहित बायोसेफ्टी केबिनेट क्लास- II ए2 (ii) बेक्टेरिओलोजिक इंक्युवेटर (300 एलटी) (iii) रेफ्रिजिरेटिड सेन्ट्रीफ्यूज विशेषताओं के अनुसार यूपीएस सहित (iv) आटोक्लेव: हारिजेंटल (v) ऑटोक्लेव : वर्टीकल (vi) एलपीए उपस्कर (vii) एलसी उपस्कर (viii) एलपीए किट्स (ix) लिक्विड कल्चर रजेंटस (x) कैपिलिया किटस (xi) प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी (xii) डीएनए अनुक्रमण सामान (xiii) इंसपिससेटर (xiv) एलईडी प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी (xv) द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी (xvi) सीबी-एनएएटी मशीन (xvii) काट्रीज (xviii) एन्युल केलीबेरेशन ।"

[फा. सं. 354/195/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 49/2013-सीमा-शुल्क, तारीख 29 नवम्बर, 2013, सा.का.नि. 762(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2015

No. 41/2015-Customs

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/2013-CUSTOMS, dated the 29th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.762 (E), dated the 29th November, 2013, namely:—

In the said notification,—

(a) in the *Explanation*, for the figures, letters and words "1st day of October, 2015", the figures, letters and words "1st day of April, 2016 " shall be substituted;

(b) after the *Explanation,* for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Sl.No.	Category	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	Anti Tuberculosis Drugs	(i) New Cases (PC-1) (ii) Re-treatment cases (PC-2) (iii) Prolongation Pouches (PC-4) (iv) Pediatric Box (PC-13) (v) Pediatric Box (PC-14) (vi) Pediatric Pouch (PC-15) (vii) Pediatric Pouch (PC-16) (viii) Isoniazid-100 mg (PC-7) (ix) Ethambutol-800 mg (PC-10) (x) Isoniazid-300 mg (PC-11) (xi) Kanamycin 500 mg (PC-17) (xii) Kanamycin 1000 mg (PC-27) (xiii) Capreomycin 500 mg (PC-42) (xiv) Capreomycin 750 mg (PC-35) (xv) Capreomycin 1000 mg (PC-36) (xvi) Levoflox-250 mg (PC-28) (xvii) Levoflox-500 mg (PC-29) (xviii) Moxifloxacin 400 mg (PC-39) (xix) Cycloserine 250 mg (PC-24) (xx) Ethionamide 250 mg (PC-20) (xxi) Ethionamide 125 mg (PC-30) (xxii) Na-PAS 4 gm (PC-32) (xxiii) Na-PAS 10 gm (PC-25) (xxiv) Ethambulol 400 mg (PC-45) (xxv) Ethambulol 800 mg (PC-10) (xxvi) Pyrazinamide 500 mg (PC-8)

		(xxvii)	Pyrazinamide 750 mg (PC-23)
		(xxviii)	Pyridoxine 50 mg (PC-31)
		(xxix)	Pyridoxine 100 mg (PC-26)
		(xxx)	Clofazimine 100 mg (PC-40)
		(xxxi)	Linezolid 600 mg (PC-38)
		(xxxii)	Amoxyclav 875/125 mg (PC-43)
		(xxxiii)	Sodium PAS 4 gm (PC-32)
		(xxxiv)	Sodium PAS 10 gm (PC-25)
		(xxxv)	Clarithromycin 500 mg (PC-37)
		(xxxvi)	Thiacetazone 150 mg (PC-44)
		(xxxvii)	Inj. Streptomycin-750 mg (PC-5)
		(xxxviii)	Cap Rifampicin-150 mg (PC-6)
		(xxxix)	Cap Rifabutin-150 mg (PC-33)
2.	Diagnostics and Equipments	(i)	Biosafety cabinet Class II A2 with UPS as per specification
		(ii)	Bacteriologic Incubator (300 LT)
		(iii)	Refrigerated centrifuge with UPS as per specification
		(iv)	Autoclaves: Horizontal
		(v)	Autoclaves: Vertical
		(vi)	LPA Equipments
		(vii)	LC Equipments
		(viii)	LPA kits
		(ix)	Liquid Culture reagents
		(x)	Capillia Kits
		(xi)	Fluorescence microscope
		(xii)	DNA Sequencing kits
		(xiii)	Inspissators
		(xiv)	LED Fluorescence microscopes
		(xv)	Binocular Microscopes
		(xvi)	CB-NAAT machine
		(xvii)	Cartridges
		(xviii)	Annual Calibration.”.

[F. No. 354/195/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 49/2013-CUSTOMS, dated the 29th November, 2013, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 762(E), dated the 29th November, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2015

सं. 42/2015-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 599(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/96 सीमा-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र में सा.का. नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996, को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 10क के सामने स्तंभ (3) में, मद (ii) के स्पष्टीकरण में "कार्यकारी निदेशक" शब्दों के स्थान पर "कार्यकारी निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 354/140/2013-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 39/96-सीमा शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 29/2015-सीमा-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2015 सा.का.नि. 339(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2015

No. 42/2015-Customs

G.S.R. 599(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996, namely:—

In the said notification, in the TABLE, against S.No.10A, in column (3), in the *Explanation,* in item (ii), for the words "functional Director" the words "functional Director or the Chief Executive Officer, as the case may be," shall be substituted.

[F. No. 354/140/2013-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No.39/96-Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July,1996 and last amended vide notification No. 29/2015-Customs dated the 30th April, 2015, published in Gazette of India, Extraordinary part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 339(E), dated the 30th April, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2015

सं. 40/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 600(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 नवम्बर, 2013, सा.का. नि. 763(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, -

(क). सूपष्टीकरण में, "1 अक्तूबर, 2015" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2016" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) स्पष्टीकरण के बाद पहले से मौजूद सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम सं.	श्रेणी	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	क्षय रोग (टीबी) निरोधी औषधियां	(i) नये मामले (पीसी-1) (ii) पुन: उपचार मामले (पीसी-2) (iii) प्रोलोंगेशन पाउच (पीसी-4) (iv) पेडियाट्रिक बाक्स (पीसी-13) (v) पेडियाट्रिक बाक्स (पीसी-14) (vi) पेडियाट्रिक पाउच (पीसी-15) (vii) पेडियाट्रिक पाउच (पीसी-16) (viii) इसोनियाजिड 100 मिलिग्राम (पीसी-7) (ix) एथम्बुटोल 800 मिलिग्राम (पीसी-10) (x) इसोनियाजिड 300 मिलिग्राम (पीसी-11) (xi) कन्म्यसिन 500 मिलिग्राम (पीसी-17) (xii) कन्म्यसिन 1000 मिलिग्राम (पीसी-27) (xiii) काप्रेओम्यसिन 500 मिलिग्राम (पीसी-42) (xiv) काप्रेओम्यसिन 750 मिलिग्राम (पीसी-35) (xv) काप्रेओम्यसिन 1000 मिलिग्राम (पीसी-36) (xvi) लिवोफ्लोक्स 250 मिलिग्राम (पीसी-28) (xvii) लिवोफ्लोक्स 500 मिलिग्राम (पीसी-29)

		(xviii)	मोक्सिफोलाक्सासीन 400 मिलिग्राम (पीसी-39)
		(xix)	स्यक्लोसेरिन 250 मिलिग्राम (पीसी-24)
		(xx)	एथिओनमिड 250 मिलिग्राम (पीसी-20)
		(xxi)	एथिओनमिड 125 मिलिग्राम (पीसी-30)
		(xxii)	एनए-पीएएस 4 ग्राम (पीसी-32)
		(xxiii)	एनए-पीएएस 10 ग्राम (पीसी-25)
		(xxiv)	एथम्बुलोल 400 मिलिग्राम (पीसी-45)
		(xxv)	एथम्बुलोल 800 मिलिग्राम (पीसी-10)
		(xxvi)	प्यरजिनमिड 500 मिलिग्राम (पीसी-8)
		(xxvii)	प्यरजिनमिड 750 मिलिग्राम (पीसी-23)
		(xxviii)	पायरिडोक्सीन 50 मिलिग्राम (पीसी-31)
		(xxix)	पायरिडोक्सीन 100 मिलिग्राम (पीसी-26)
		(xxx)	क्लोफजिमिन 100 मिलिग्राम (पीसी-40)
		(xxxi)	लिनेजोलिड 600 मिलिग्राम (पीसी-38)
		(xxxii)	अमोक्सीक्लेव 875/125 मिलिग्राम (पीसी-43)
		(xxxiii)	सोडियम पीएएस 4 ग्राम (पीसी-32)
		(xxxiv)	सोडियम पीएएस 10 ग्राम (पीसी-25)
		(xxxv)	क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलिग्राम (पीसी-37)
		(xxxvi)	थयासेटाजोन 150 मिलिग्राम (पीसी-44)
		(xxxvii)	इंजेक्शन स्ट्रप्टोमाइसीन 750 मिलिग्राम (पीसी-5)
		(xxxviii)	कैप्सूल रिफामपाइसीन 150 मिलिग्राम (पीसी-6)
		(xxxix)	कैप्सूल रिफाबूटिन 150 मिलिग्राम (पीसी-33)
2.	निदानिकी और उपस्कर	(i)	विशिष्टताओं के अनुसार यूपीएस सहित बायोसेफ्टी केबिनेट क्लास-II ए2
		(ii)	बेक्टेरिओलोजिक इंक्युवेटर (300 एलटी)
		(iii)	रेफ्रिजिरेटिड सेन्ट्रीफ्यूज विशेषताओं के अनुसार यूपीएस सहित
		(iv)	आटोक्लेव: हारिजेंटल
		(v)	ऑटोक्लेव : वर्टीकल
		(vi)	एलपीए उपस्कर
		(vii)	एलसी उपस्कर
		(viii)	एलपीए किट्स

		(ix)	लिक्विड कल्चर रजेंटस
		(x)	कैपिलिया किटस
		(xi)	प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी
		(xii)	डीएनए अनुक्रमण सामान
		(xiii)	इंसपिससेटर
		(xiv)	एलईडी प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी
		(xv)	द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी
		(xvi)	सीबी-एनएएटी मशीन
		(xvii)	काट्रीज
		(xviii)	एन्युल केलीबेरेशन ।"

[फा. सं. 354/195/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 30/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 नवम्बर, 2013, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2015

No. 40/2015-Central Excise

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/2013-Central Excise, dated the 29th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 763(E), dated the 29th November, 2013, namely:—

In the said notification,-

(a) in the *Explanation*, for the figures, letters and words "1st day of October, 2015" the figures, letters and words "1st day of April, 2016 " shall be substituted;

(b) after the *Explanation,* for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:-

"TABLE

Sl. No.	Category	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	Anti Tuberculosis Drugs	(i) New Cases (PC-1) (ii) Re-treatment cases (PC-2) (iii) Prolongation Pouches (PC-4) (iv) Pediatric Box (PC-13)

		(v)	Pediatric Box (PC-14)
		(vi)	Pediatric Pouch (PC-15)
		(vii)	Pediatric Pouch (PC-16)
		(viii)	Isoniazid-100 mg (PC-7)
		(ix)	Ethambutol-800 mg (PC-10)
		(x)	Isoniazid-300 mg (PC-11)
		(xi)	Kanamycin 500 mg (PC-17)
		(xii)	Kanamycin 1000 mg (PC-27)
		(xiii)	Capreomycin 500 mg (PC-42)
		(xiv)	Capreomycin 750 mg (PC-35)
		(xv)	Capreomycin 1000 mg (PC-36)
		(xvi)	Levoflox-250 mg (PC-28)
		(xvii)	Levoflox-500 mg (PC-29)
		(xviii)	Moxifloxacin 400 mg (PC-39)
		(xix)	Cycloserine 250 mg (PC-24)
		(xx)	Ethionamide 250 mg (PC-20)
		(xxi)	Ethionamide 125 mg (PC-30)
		(xxii)	Na-PAS 4 gm (PC-32)
		(xxiii)	Na-PAS 10 gm (PC-25)
		(xxiv)	Ethambulol 400 mg (PC-45)
		(xxv)	Ethambulol 800 mg (PC-10)
		(xxvi)	Pyrazinamide 500 mg (PC-8)
		(xxvii)	Pyrazinamide 750 mg (PC-23)
		(xxviii)	Pyridoxine 50 mg (PC-31)
		(xxix)	Pyridoxine 100 mg (PC-26)
		(xxx)	Clofazimine 100 mg (PC-40)
		(xxxi)	Linezolid 600 mg (PC-38)
		(xxxii)	Amoxyclav 875/125 mg (PC-43)
		(xxxiii)	Sodium PAS 4 gm (PC-32)
		(xxxiv)	Sodium PAS 10 gm (PC-25)
		(xxxv)	Clarithromycin 500 mg (PC-37)
		(xxxvi)	Thiacetazone 150 mg (PC-44)
		(xxxvii)	Inj. Streptomycin-750 mg (PC-5)
		(xxxviii)	Cap Rifampicin-150 mg (PC-6)
		(xxxix)	Cap Rifabutin-150 mg (PC-33)
2.	Diagnostics and Equipments	(i)	Biosafety cabinet Class II A2 with UPS as per specification
		(ii)	Bacteriologic Incubator (300 LT)
		(iii)	Refrigerated centrifuge with UPS as per specification

		(iv)	Autoclaves: Horizontal
		(v)	Autoclaves: Vertical
		(vi)	LPA Equipments
		(vii)	LC Equipments
		(viii)	LPA kits
		(ix)	Liquid Culture reagents
		(x)	Capillia Kits
		(xi)	Fluorescence microscope
		(xii)	DNA Sequencing kits
		(xiii)	Inspissators
		(xiv)	LED Fluorescence microscopes
		(xv)	Binocular Microscopes
		(xvi)	CB-NAAT machine
		(xvii)	Cartridges
		(xviii)	Annual Calibration.”.

[F. No. 354/195/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 30/2013-Central Excise, dated the 29th November, 2013, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 763(E), dated the 29th November, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.